<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान–पडरौना।</u>
<u>पीठासीन अधिकारी– (राजन कुमार गोंड) (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP2148</u>
जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 3207/2026
सरकार बनाम सोनू सिंह
अभियुक्त सोनू सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारणः

<u>05.08.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त सोनू सिंह की ओर से मु०अप०सं०–285/2026, अन्तर्गत धारा–305(A), 317(2) BNS, थाना–रामकोला, जिला–कुशीनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 26.07.2026 से जेल में निरुद्ध है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त पर आरोपित धाराएँ सात वर्ष से अनाधिक कारावास से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है।

अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार की धमकी देगा या साक्षियों से छेड़छाड़ करेगा अथवा न्यायालय की अधिकारिता से पलायित कर जायेगा।

अतः मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था Brahm Sing & 2 others vs State of U.P. & 2 others के Criminal Misc. Writ Petition No. – 15609/2016, Satendra Kumar Auntil vs C.B.I. & others Petition (S) for Special Leave to Appeal (Cri.) No. – 5191/2021 Siddharth vs. The State of Uttar Pradesh & Anr. Criminal Appeal No. 838 of 2021 and Aman preet Sing vs CBI through Director, Criminal Appeal No. 929 of 2021 में पारित विधि व्यवस्था, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सोनू सिंह की ओर से मु०अप०सं०–285/2026, अन्तर्गत धारा–305(A), 317(2) BNS, थाना–रामकोला, जिला–कुशीनगर में अंकन **पचास हजार रूपये का एक** सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर निम्न शर्तों की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती हैः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा व न ही अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी किस्म की या किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त के स्वंय के घर के पते एवं उसके जमानतियों के घर के पतों में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना प्रार्थी/अभियुक्त तुरन्त न्यायालय में करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त इस मुकदमे में जब न्यायालय में गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होंगे तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में अपने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उनको दी गई जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by RAJAN KUMAR GOND
Date: 2026.08.05 17:06:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court